

15/12/16

समाप्ती काज निरंतर 14.6.2016 को दिनांक
के दिनांक जोड दिनांक दिविन के फेरा 500
पार्थना पत्र पृ. 251-A के अनुसार जेद कर
वाली छिद्र से पत्र से लागू कर

का: समाप्ती के अन्तर्गत आधार
पर अवलोकन किया गया आर्थिक प्रशासन
अर्थना पत्र प्रशासनिक सौजन्य का रखा परना मण्डल
केरीया मन्त्र आ. नं. 1500, 1501, 1502 से 1513 तक
की 13 वक्या 18.12 की धारा 1811 में जो पार्थना 2,
विपरीत 15 चान्द अन्तर्गत उक्त काराणिगत के अन्त
जाने का एक मात्र वास्तव में जो कि सरकारी सपना
आ. नं. 650 जो कि मुख्य रूप से से उक्त विपरीत 01
लगापन 14 की आ. नं. 657, 656, 657, 652,
651, 1498 के राशीकी पार्थना में के अन्तर्गत
कपरी कावाजी चालने 1500 व 1501 व के पत्र के अन्त
जिपान पर कले-जाने के जो 15 कीट को अन्तर्गत उक्त
गयी गजान वनी 15 की उक्त वास्तव में पार्थना पत्र के अन्त
संज्ञ रेक्टर काटि लाने-लेजाने रखने उक्त वास्तव के अन्त
दिक अन्तर्गत को अन्तर्गत को अन्त उक्त वास्तव के अन्त
परन्तु विपरीत का अन्त अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
कारण - वास्तव में रास्ता सुलभ करवा कर स्थायी
समाधान लेना अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
उक्त उक्त पत्र किया गया

अन्तर्गत विपरीत विपरीत अं. 05, एवं विपरीत
कं 06 लगापन 11 तथा 12 की-अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
अर्थना पत्र प्रशासनिक पार्थना पत्र का रण्डन प्रशासन
करके 50 दिविन किया गया कि उन्हे दार को
राजा के अन्तर्गत किया गया परन्तु विपरीत अन्तर्गत
पर अन्तर्गत किया गया कि अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
पत्र स्वीकारा परमापन अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
गण की वास्तव में अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
उक्त अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत

प्रीति सिंह,
पीठासन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर मण्डल

9.7.16

परन्तु यह आरोप न कि प्रभावित माना जावे
 जाय - जाकी शर्त का उभावीत खानेदारों को
 उनके बिस्से के से कम को गयी सक्ती आवीत
 P.L.C. की दुगनी दर के राशी विपरीत शर्त
 को कम कर दे अथवा राज्य कोष को वाज्ते
 विपरीत शर्त सुमानन हेतु जमा करा दे राशी
 कमापनी पञ्चान्त ही यह आरोप / निष्पि
 प्रभावित लोग पालनार्थ नवीलगा मंगल
 को निष्पि की उभावीत शर्त के विरुद्ध ले डिनाड
 14/6/16 को उभावीत मजरी नवीलगा निष्पि को भाषित भाषा राशी
 निष्पि का डिनाड 14.6.2016
 को उरे डी जलक (उनाप) शर्त

(देवी सिंह)
 पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलक्टर माण्डल